2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज कैलाश चन्द् बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 05/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कैलाशचन्द्र पता मकान नं. 7ए/17, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.11.18 में उसके द्वारा (1) कार्यालय जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर में वितीय वर्ष 1995 से 2018 तक बनने वाले प्रत्येक वर्ष का बजट प्रस्ताव में संलग्न सभी कार्मिक के रिक्त पदों की सूचना मय मानचित्र की प्रतियां संस्थापना व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 1, 2 व 8 से संबंधित सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। चूंकि अपील मीमों के संलग्न दस्तावेज की प्रति का अध्ययन करने से पाया गया कि बिन्दु संख्या 1 व 2 से संबंधित सूचना संस्थापन शाखा से संबंधित नहीं होना बताते हुए सूचना नहीं दी गई, परन्तु लोक सूचना अधिकारी को कार्यालय हाजा की अन्य शाखा जहां बिन्दु संख्या 1 व 2 से संबंधित सूचना है, वहां से मंगवा कर दी जानी चाहिए इसी प्रकार बिन्दु संख्या–8 से संबंधित जो सूचना कार्यालय में उपलब्ध है, दी जानी चाहिए अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधंपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	